

संजीव वर्मा, भा०प्र०से०

9361
16/12/17

AD (T-4)



13/12/17

CPMS-2017
TU-02-2017
अर्ध सरकारी पत्र न० 2786

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, हरियाणा।

एस.सी.ओ. न० 68-70, सैक्टर 17-ए, चण्डीगढ़-160017.
दूरभाष : 0172-2704212, फैक्स : 0172-2714614

दिनांक, चण्डीगढ़ 09/02/17

ST
15/2 T-4

विषय:

Regarding online applications on National Scholarship Portal (NSP 2.0), for three scholarship schemes Pre-Matric, Post-Matric and Top Class for Disability Communities.

Dear Sir

मैं आपका ध्यान विभाग के मार्जन में अंकित पत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिव्यांग छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजनाएं कमशः प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। दिव्यांग छात्रों ने वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति के लिये आनलाईन आवेदन नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर किया है, जिसकी आनलाईन पात्रता की जांच स्कूलों/कालेजों/ शिक्षण संस्थानों के मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों के द्वारा की जानी है। जिसके लिये विभाग द्वारा पहले ही पासवर्ड/यूजर आईडी भी जारी कर दिये गये है। आनलाईन पात्रता की जांच तिथि 18.1.2017 निश्चित थी जिसे भारत सरकार द्वारा बढ़ा करके 8.2.2017 कर दी गई है, लेकिन नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर अभी भी काफी स्कूलों/कालेजों/ शिक्षण संस्थानों के छात्रों की जांच (वैरीफिकेशन) के बिना लम्बित है उन सभी की सूचि मार्जन में अंकित पत्र द्वारा ई-मेल द्वारा सभी सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों की ई-मेल आईडी पर भी इस विभाग द्वारा भिजवा दी गई है।

2- अतः अनुरोध है कि जिन छात्रों द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया है और जिन शिक्षण संस्थानों के आवेदन जांच के बिना लम्बित है उन सभी सम्बन्धित को निर्देश देने का कष्ट करे कि कोई भी छात्र छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रह पाये।

मैं आपका अति आभारी रहूंगा।

आपका

(संजीव वर्मा)

श्री अंशज सिंह, आई०एस०एस०,
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा,
30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़।

P-T.O

पत्र क्रमांक
35347-53
दिनांक
09.11.2016,
38986-92
दिनांक
13.12.2016,
39778-84
दिनांक
27.12.2016.

निदेशालय, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

पृ0क0 टी-4/PMS/अल्पसंख्यक समुदाय /2016-17/5016 दिनांक: 15/3/17
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़। उनके अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक 2786 दिनांक 9.2.2017 के संदर्भ में।
2. संयुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य, राजकीय आई0 टी0 ओ0 टी0, रोहतक व सभी राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) के मुखियों को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा भेजी गई हिदायतें भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त हिदायतों तथा इस सम्बन्ध में समय-2 पर जारी हिदायतों की पालना करते हुए वर्ष 2016-17 के दाखिले अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की जांच करके www.scholarships.gov.in अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्तर के सभी प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2016-17 के दाखिले के अनुसार उक्त सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से संपर्क करके अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के लिए अधिक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन जांचें/चैक करवाकर वैंबसाईट www.scholarships.gov.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
4. उप-निदेशक प्रशिक्षण-4। प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के लिए अधिक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन जांचें/चैक करवाकर वैंबसाईट www.scholarships.gov.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. नोडल अधिकारी वैंबसाईट। विभाग वैंबसाईट पर डालने हेतु।

Manoj Saini
10/3/17

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)

कृत: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

Om